

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003042014

दांडिक प्रकरण क.-299 / 14

संस्थापित दिनांक-04.06.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-नीरज कुमार पुत्र नारायण प्रसाद योगी उम्र 26 साल निवासी हाटकापुरा चंदेरी जिला अशोकनगर।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री पठान अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 16.03.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 304ए के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी

राजू यादव ने दिनांक 01.05.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को शाम 6.30 बजे वह चंदेरी बाजार तरफ से उसकी मोटरसाईकिल पर अपनी भाभी कृष्णाबाई को बैठाकर नई बस्ती अपने घर जा रहा था। फतेहाबाद तिराहे से पहले मुंगावली रोड पर सामने से एक मेटाडोर एमपी08 जीए0221 का ड्रायवर नीरज हाटकापुरा चंदेरी का तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे मोटरसाईकिल गिर पड़ी और वह और भाभी कृष्णा भी गिर पड़ी एवं भाभी के उपर से मेटाडोर का पहिया चढ़ गया जिससे उनके सिर में तथा शरीर में जगह जगह चोट होकर खून निकला तथा उसे भी जगह-जगह शरीर में मुंदा चोट आई। जब वह भाभी को अस्पताल ला रहा था तब रास्ते में उसकी भाभी की मौत हो गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 181/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 304ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 304ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 01.05.14 को समय करीब शाम 6.30 बजे थाना चंदेरी के अंतर्गत फतेहाबाद तिराहे के पास, मुंगावली रोड पर मेटाडोर क्रमांक एमपी08 जीए0221 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजू यादव की मोटर साईकिल को टक्कर मारकर मृतक कृष्णाबाई की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की

कोटि में नहीं आती ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 डॉ आर पी शर्मा, अ.सा. 02 राजू, अ.सा. 03 श्रीपत सेन, अ.सा. 04 सूर्यनाथ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 राजू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह चंदेरी से फतेहाबाद जा रहा था तथा उसके साथ उसकी भाभी कृष्णाबाई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार सामने से मेटाडोर आ रही थी जिससे मोटरसाइकिल टकरा गई थी और उसकी भाभी के सिर में लगने से मृत्यु हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर हरभजन आया था जिसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। अ.सा. 02 के अनुसार उसके द्वारा रिपोर्ट प्रपी 04 लेखबद्ध कराई गई थी तथा पुलिस द्वारा नक्शामौका प्रपी 05 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने जप्ती पंचनामा प्रपी 06 तैयार किया था एवं नक्शापंचनामा प्रपी 08 तथा मृत्यु जांच प्रपी 07 भी तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके द्वारा प्रपी 04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रपी 09 के पुलिस कथन में वाहन क्रमांक लिखाया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा मेटाडोर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी से उसके समक्ष मेटाडोर जप्त की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने प्रसूरि प्रपी 04 में मेटाडोर से टक्कर मारने वाली बात नहीं लिखाई और न ही अपने कथन में उक्त बात लिखाई थी। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि आरोपी वाहन को नहीं चला रहा था। अ.सा. 03 श्रीपत सेन पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उक्त साक्षी ने प्रपी 06 की जप्ती की कार्यवाही उसके समक्ष होने से इंकार किया है।

08— अ.सा. 01 डॉ आर पी शर्मा जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा आहत कृष्णा का शव परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 02 है। उक्त रिपोर्टानुसार मृतक कृष्णा की मृत्यु सिर पर आई चोट के कारण हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आहत राजेश के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। अ.सा. 04 सूर्यनाथ जो कि मामले का विवेचक है ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान नक्शापंचनामा प्रपी 08 तैयार किया गया था तथा शव परीक्षण आवेदन प्रपी 02 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 05 भी तैयार किया गया था तथा प्रपी 06 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रपी 11 का जप्ती पंचनामा भी तैयार किया था।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण के एक चक्षुदर्शी साक्षी हरभजन पुत्र पूरन विचारण के दौरान फौत हो गया है तथा उसके कथन अंकित नहीं हो पाए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकरण का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी श्रीपत सेन पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त घटना दिनांक को मृतक कृष्णाबाई की मृत्यु हुई थी जो कि अ.सा. 01 की साक्ष्य से प्रमाणित हो रहा है। अ.सा. 02 की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि मृतक कृष्णाबाई की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकालना है कि क्या उक्त दुर्घटना आरोपी द्वारा कारित की गई। उल्लेखनीय है कि घटना का एक चक्षुदर्शी साक्षी मृत हो गया है तथा दूसरे चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। अ.सा. 03 के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। प्रकरण में मात्र अ.सा. 01 जो कि मामले का फरियादी भी है की साक्ष्य शेष रह जाती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपी द्वारा ही कारित किया गया।

10— अ.सा. 01 जो कि मामले का फरियादी है ने अपने कथनों में आरोपी को जानना बताया है। अपने कथनों में उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक को प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को नहीं चला रहा था। उक्त साक्षी ने उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्रपी 08 की कार्यवाही होने से भी इंकार किया है। अ.सा. 03 ने भी उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्रपी 06 की कार्यवाही होने से इंकार किया है। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन द्वारा की गई जप्ती पंचनामे की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हो रही है। प्रकरण में न केवल घटना के चक्षुदर्शी साक्षी, बल्कि मामले के फरियादी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर रहा था। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया। यहां पर उल्लेखनीय है कि मात्र विवेचक की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया, समीचीन प्रतीत नहीं होता। उल्लेखनीय है कि मामले का विवेचक घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। विवेचक द्वारा प्रकरण में जप्ती एवं नक्शामौका की कार्यवाही की गई है जो कि अभियोजन साक्षीगण से प्रमाणित नहीं हो रही है।

11— अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को लापरवाहीपूर्वक चालित कर मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गई जिससे मृतक कृष्णाबाई की मृत्यु कारित हुई। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है

कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 304ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

14— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)